

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27(43)/ग्राविवि - 5/समीक्षा/बैठक/2015-16

जयपुर, दिनांक

9 अप्रैल, 2015

::- बैठक एजेण्डा ::-

शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में जिला परिषदों के योजना प्रभारी/परियोजना अधिकारी (अभि.) की बैठक (विभागीय पत्र दिनांक 07.04.2015) दिनांक 20.04.2015 को आयोजित की जावेगी जिसमें निम्न एजेण्डा बिन्दुवार आवासीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जावेगी। एजेण्डावार सूचनाओं के साथ बैठक में उपस्थित होंगे :-

- वर्ष 2015-16 की कार्ययोजना अनुसार पात्र लाभार्थियों का आवाससॉफ्ट पर पंजीयन करना व आ रही कठिनाईयों के संबन्ध में चर्चा:-

लक्ष्य	पंजीयन	बकाया पंजीयन	बकाया पंजीयन पूर्ण कराने का दिनांक	पंजीयन बकाया रहने के कारण
--------	--------	--------------	------------------------------------	---------------------------

- योजनान्तर्गत पूर्व वर्षों के स्वीकृत आवासों को पूर्ण करने के संबन्ध में चर्चा (विभागीय पत्र दिनांक 06.04.2015 के क्रम में)।

वर्ष 2011-12				वर्ष 2012-13				वर्ष 2013-14			
आवासों की प्रगति				आवासों की प्रगति				आवासों की प्रगति			
स्वीकृत	पूर्ण	प्रगतिरत	बंद	स्वीकृत	पूर्ण	प्रगतिरत	बंद	स्वीकृत	पूर्ण	प्रगतिरत	बंद

- पंचायत समिति स्तर पर लम्बित किश्त हस्तान्तरण के प्रकरणों पर चर्चा:- (पंचायत समितिवार)

नाम पंचायत समिति	मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना			इन्दिरा आवास योजना			कुल योग (IAY+CMBPL)	15 दिवस से अधिक के प्रकरणों की संख्या	1 माह से अधिक के प्रकरणों की संख्या	लम्बित प्रकरणों का कारण
	पंचायत समिति स्तर पर बकाया द्वितीय किश्तें	पंचायत समिति स्तर पर बकाया तृतीय किश्तें	कुल	पंचायत समिति स्तर पर बकाया द्वितीय किश्तें	पंचायत समिति स्तर पर बकाया तृतीय किश्तें	कुल				
कुल										

- वित्तीय प्रगति पर चर्चा:- जिलों के पास दायित्वों उपरान्त अवशेष राशि की सूचना व अवशेष राशि को अन्य जिलों को हस्तान्तरण के प्रस्ताव साथ में लावें।

प्रपत्र-1

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	योजना	वर्ष	01.04.14 को प्रारम्भिक शेष	माह मार्च, 2015 तक प्राप्त राशि			कुल उपलब्ध राशि	वर्ष के दौरान व्यय (मार्च तक)	अवशेष राशि 01.04.2015 को	प्रतिशत घटाय	दायित्व उपरान्त हस्तान्तरण योग्य राशि (दायित्व की गणना प्रपत्र 2 के अनुसार की जावे)
				योजना मद से प्राप्त	अन्य जिले/मद से प्राप्त राशि	अन्य जिलों को/मद में हस्तान्तरित राशि					
1	आईएवाई रेग्युलर	2014-15									
2	आईएवाई रेग्युलर	2013-14									
3	आईएवाई इन्सेन्टिव	2010-11									
4	आईएवाई इन्सेन्टिव	2012-13									
5	एफआरए	2012-13									
6	पीवीटीजी	2012-13									
7	प्राकृतिक आपदा 5 प्रतिशत योग										

प्रपत्र-1 शुद्ध दायित्व की गणना:-

क्र. सं.	योजना	वर्ष	01.04.15 को प्रारम्भिक शेष (प्रपत्र-1 के अनुसार)	कुल लक्ष्य	31.03.2015 तक पूर्ण आवास जिनको भुगतान किया जा चुका है	शेष आवास जिनको द्वितीय व तृतीय किस्त दी जानी है		किस्तों हेतु राशि की आवश्यकता			अन्य जिलों को हस्तान्तरण योग्य राशि
						द्वितीय किस्त	तृतीय किस्त	द्वितीय किस्त	तृतीय किस्त	कुल	
1	आईएवाई रेग्युलर	2014-15									
2	आईएवाई रेग्युलर	2013-14									
3	आईएवाई इन्सेन्टिव	2010-11									
4	आईएवाई इन्सेन्टिव	2012-13									
5	एफआरए	2012-13									
6	पीवीटीजी	2012-13									
7	प्राकृतिक आपदा 5 प्रतिशत योग										

5. प्रशासनिक मद में व्यय राशि पर चर्चा -

क्र. सं.	जिले का नाम	उपलब्ध राशि (लाखों में)	आईईसी में व्यय	सामाजिक अंकेक्षण में व्यय	वाहन पर व्यय	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर पर व्यय	अन्य व्यय	वर्ष के दौरान कुल व्यय	31 मार्च, 2015 को अवशेष

6. सामाजिक अंकेक्षण व लाभार्थियों को आवास अधिकार कार्ड वितरण कार्य योजना पर चर्चा।

नाम पंचायत समिति	वर्ष 2014-15 में स्वीकृत आवास	गत वर्षों के अपूर्ण आवास	कुल आवास	आवास अधिकार कार्ड हेतु लाभार्थियों की सम्भावित संख्या	कार्ययोजना अनुसार लाभार्थियों का प्रांशक्षण आयोजित करने की दिनांक	वितरित किये गये आवास अधिकार कार्ड की संख्या

7. नवाचार के तहत जयपुर व जालौर में स्वीकृत मोबाईल फोन बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम की प्रगति पर चर्चा (सफलता की कहानियां कम से कम 5-5 साथ में लावें)।

8. बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं सीए ऑडिट रिपोर्ट/विधानसभाप्रश्न/ आश्वासन/ वीआईपी प्रकरणों की पालना रिपोर्ट प्रेषित करें।

कृपया समस्त वांछित सूचना दिनांक 16.04.2015 तक pdengg_rdd@yahoo.com पर प्रेषित करावें।

(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रावि को सूचनार्थ एवं बैठक व्यवस्था हेतु निर्देशित करने बाबत।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्राविप्र), समस्त।
5. योजना प्रभारी/परियोजना अधिकारी (अभि), जिला परिषद समस्त को भेजकर लेख है कि बैठक में समस्त सूचनाओं के साथ निर्धारित समय पर उपस्थित होंगे।
6. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (भो एवं मू), को वेब-साईट पर अपलोड कराने हेतु।
7. श्री प्रदीप अजमेरा, कनिष्ठ लिपिक को बैठक/कार्यशाला में आवश्यक व्यवस्था हेतु।

(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)